

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरनसर

निर्णय

मिसल नम्बर - 14/2019

दिनांक- 07/6/2019

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का <sup>खिपेरी</sup> 2075 में गैर रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सगवत् 2075 में गैर सायल <sup>गोरख</sup> पुत्र श्री <sup>गोरख</sup> जाति <sup>मेथवाल</sup> साकिन <sup>215वां</sup> ने ग्राम <sup>215वां</sup> के ख0न0 <sup>170</sup> रकबा <sup>0.018 हे०</sup> में नाजायज <sup>बेटा/जवान विम्व</sup> कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषप्रद नहीं होने के कारण गैर सायल श्री <sup>215वां</sup> पुत्र श्री <sup>गोरख</sup> जाति <sup>मेथवाल</sup> साकिन <sup>215वां</sup> को ग्राम <sup>215वां</sup> के ख0न0 <sup>170</sup> रकबा <sup>0.018 हे०</sup> में अतिचार करने पर राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू-राजस्व दर <sup>0.018</sup> का 50 गुणा <sup>0.1</sup> रुपये शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं।

बेदखली बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/6/2019 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3  
तहसीलदार (राजस्व)  
लूणकरनसर